रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2016/पौष 18, 1937
No. 57] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2016/ PAUSA 18 , 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2016

का.आ. 63(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने का इच्छुक है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर, दक्षिण कन्नड़ और उडूपी जिलों के त्रिजक्शंन में केंद्रीय पश्चिमी घाटों (गोवा और नीलगिरि के बीच का स्थान) के मध्य में स्थित है, यह विश्व के 34 जैव विविधता हाट

स्पाट का एक भाग है और यह उत्तरी अक्षांश 13⁰ 01' से 13⁰ 29' तथा 75⁰ 01' से 75⁰ 25' पूर्वी देशांतर उष्णकटिबंधीय प्रचुरता का एक साइन पोस्ट बन गया है और यह 600.57 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, राष्ट्रीय उद्यान भी सहयाद्री पर्वत श्रेणियों का एक हिस्सा है और कम ऊँचाई वाले आर्द्र सदाबहार वन और शोला-चरागाह बायोम पश्चिमी घाट की पूरी सीमा में सबसे आकर्षक भू-दृश्य बने हुए हैं।

और, कुद्रेमुख भू-दृश्य के विस्तृत श्रेणी की ऊँचाई 135 मीटर समुद्र स्तर से उच्च भूमि के 1900 मीटर समुद्र स्तर तक निरुपित है और उसके अनुसार वनस्पति और उनके सहारे जीवजंतु की एक विस्तृत श्रेणी है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख वन प्रकार (चैपियन और सेठ 1968) दक्षिणी पहाड़ी के शीर्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों (1ए/सी3) (शोला), उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन (1ए/सी4), पश्चिम तटीय अर्ध सदाबहार वन (2ए/सी2), दक्षिण भारतीय आर्द्र पर्णपाती वन (3बी/सी2) और दक्षिण भारतीय उपोष्णकटिबंधीय पहाड़ी सवाना (8ए(सी1/डी एस) में वर्गीकृत किया गया है। जे.पी. पास्कल ने कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की वनस्पति का वर्गीकरण किया है।

और, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के वनस्पति मूल्य के अतिरिक्त कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के जीवजन्तु मूल्य इस भू-दृश्य के वन क्षेत्र को सुरक्षा और संरक्षण करने कि हमारी मंशा के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। कुद्रेमुख भारत और विश्व में लघु पुच्छ वानर का एक बड़ी जीवसंख्या के लिए बड़ा केंद्र/आवास बना हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान, विश्व के सबसे लंबे विषैले सांप किंग कोबरा का भी वास है और मालाबार तवांगु (लोरिस लयडेक्केरीनस मालाबारिकस), कुद्रेमुख का स्थानिक दुर्लभ नर-वानर है। यह राष्ट्रीय उद्यान आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का प्रतिनिधित्व है इसमें मुख्य तीन मासाहारी जैसे-बाघ, तेंदुआ और जंगली कुत्ते पाए जाते हैं। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान जीवजंतु समुद्र जैसे-सरीसृप, उभयचर और मछलियों के लिए उच्च स्तरीय स्थानिकता रखता है। कीट तथा उनके पश्चात पक्षी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंदर अत्यधिक विविध जीवजंतु प्रजातियों के प्रतीक हैं। हार्नबिल्स जैसे पक्षीवृन्द प्राचीन वर्धन वनों में पाये जाते हैं और उड़ने वाली गिलहरी लंबे वृक्षों पर या फल वृक्षों पर दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में पाये जाने वाले अन्य प्रजातियों में एशियाई हाथी, भारतीय गौर, साँभर हिरण, मुंजक, चीतल, पिसूरी, रीछ, नग्न हथैना, शेवरोटेन, जंगली सूअर, हनुमान लंगूर, बॉनिट लघु पुच्छ वानर, मालाबार गैनट गिलहरी, मोर, अजगर और मालाबार मुश्कबिलाव आदि सम्मिलित है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र केंद्रीय पश्चिमी घाट में आँर्किड के लिए गर्म स्थान में सबसे गर्म स्थान के रूप में जाना जाता है।

और, सभी मूल्यों में से, कुद्रेमुख का पारिस्थितिक तंत्र सेवा मूल्य बहुत महत्व का है और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में वन भूमि के इस क्षेत्र की सुरक्षा और संरक्षण के लिए महत्तवपूर्ण हैं। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान तुंगा, भाद्रा और नेथरावाथी जैसी मुख्य नदियों के लिए मुख्य स्त्रोत और जलग्रहण है और स्वर्गा गुरुपुरा, येन्नेहोले और सीथानाधी जैसी अन्य छोटी नदियों के लिए जल ग्रहण, जो स्थानीय लोगों के लिए एकमात्र साधन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्तवपूर्ण भूमिका निभाती है। कुद्रेमुख दक्षिण भारत में एक उच्चतम वर्षा वृष्टि का स्थान है (प्रति वर्ष 7000 मि. मी. औसत)। इसके अतिरिक्त, कुद्रेमुख के आर्द्र सदाबहार शोला वन एक स्पंज की तरह कार्य करते है, इस प्रकार पानी की भारी मात्रा भूमिगत रिजर्व के रूप में रहती है जो कि साल भर में धीरे-धीरे नदियों में जाती है। और भौगोलिक दृष्टि से, राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र (दक्षिण पश्चिम मानसून सहायता से) क्षेत्रीय जलवायु पर एक विशाल और स्थायी प्रभाव रखती है। इसके अलावा, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान उच्चतम स्थायी बायोमास में से एक है जिसे प्रति हेक्टेयर 250-300 टन की औसत अनुमान लगाया जाता है और इसलिए यह एक बृहत् कार्बन विलय गर्त, भूमंडलीय तापन का प्रतिकारक और जलवायु परिवर्तन के तथ्य के रूप में कार्य करता है।

और, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से **पारिस्थितिक संवेदी जोन** के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त **पारिस्थितिक संवेदी जोन** में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 10 किलोमीटर तक के विस्तार क्षेत्र को कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 10 किलोमीटर तक के विस्तार तक 286.259 वर्ग किलोमीटर है । राष्ट्रीय उद्यान की उत्तरी तरफ सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य मिलता है, परिणामस्वरुप इस तरफ किसी पारिस्थितिक संवेदी जोन का प्रस्तावित नहीं किया गया है । ऐसे जोन की सीमाओं के ब्यौरे **उपाबंध-I** पर दिए गए हैं ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले 51 ग्रामों की सूची उनके मुख्य निर्देशांक बिन्दुओं सहित **उपाबंध-II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) सीमा के ब्यौरे अक्षांश और देशांतर के ब्यौरों के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध-III** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) मुख्य पारिस्थितिक संवेदी जोन के मुख्य स्थिति (जीपीएस) बिन्दु **उपाबंध-IV** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, इस अधिसूचना में दिए गए उपदर्शों का अनुपालन करते हुए, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना को राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट रीति में और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के सामंजस्य से तैयार की जाएगी ।

(4) आचंलिक महायोजना उसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए सभी संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से तैयार की जाएगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात :--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिका ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई ; और

(x) लोक निर्माण विभाग

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न किया जाए और उक्त आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का सुधार करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान एवं प्रस्तावित पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने का सुनिश्चय करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) भू-उपयोग – पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में क्रम सं. 12, 18, 24, 29 और 32 के अधीन क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं, :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) पर्यटन - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटक महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का एक भाग बनेंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्याम की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे ।

परंतु संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसार्ट के स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) नैसर्गिक विरासत - पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) मानव-निर्मित विरासत स्थल - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी ।

(6) ध्वनि प्रदूषण - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कर्नाटक राज्य अथवा राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) वायु प्रदूषण - पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कर्नाटक राज्य अथवा राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) बहिस्राव का निस्सारण - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) ठोस अपशिष्ट - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट - पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630(अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) यानीय यातायात - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाईयां - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को सिवाए विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और तोड़ने की इकाईयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए मकानों के सन्ननिर्माण या मरम्मत के लिए और भूमि को खोदने या मकानों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के निर्माण के प्रतिनिर्देश से स्थानीय निवासियों के सदभाविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए प्रतिषिद्ध होगा; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

(6)	किन्ही परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि का अनुसार जरा रहेगे; परंतु विद्यमान आरा मिलों के लाइसैन्स की अवधि समाप्ती पर उनको पुनः नवीकृत नहीं किया जा सकेगा ।
(10)	पवन चक्कियां लगाना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(11)	प्लास्टिक के बैगों, लैमिनेटस और टैट्रा पैकों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित । प्लास्टिक की वस्तुओं, लैमिनेटस और टैट्रा पैकों के निपटान को कठोरता से विनियमित और मानीटर किया जाएगा ।
(12)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक के अनुकूल पर्यटन कार्यकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी आवास के सुरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को सिवाए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । पंरतु 1 किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों के विस्तार पर्यटन महायोजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे ।
(13)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । परंतु यह और कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों तो, सक्षम प्रधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से न्यूनतम रखा जाएगा । (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण और अन्य संनिर्माण क्रियाकलापों को महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा । (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे।

(14)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा ।
(15)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(16)	विद्युत केबलों, पारेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	(i) भूमिगत केबल को बढ़ावा देना । (ii) विद्यमान घरेलू तारे, यदि भूमि से ऊपर हैं तो उनको <20 ढाल पर 20 फुट की ऊंचाई पर और > 30 ढाल पर जमीन से 30 फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए ; (iii) 11 केवी तक घरेलू प्रयोजन के लिए भविष्य में विद्युत तारों को जमीन के नीचे बिछाया जाएगा । (iv) 11 केवी से अधिक की किसी पारेषण लाइन के लिए दो टावरों के बीच झुकाव बिंदु को भूमि से सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए ।
(17)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(18)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(19)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(20)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट का	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का

	निपटान ।	अनुपालन करना होगा ।
(23)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।
(25)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
(28)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(29)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(30)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(31)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(32)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(33)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, कर्नाटक राज्य के भीतर आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

i) प्रादेशिक आयुक्त, मैसूर -अध्यक्ष

ii) पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य

iii) शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य

iv) पर्यावरण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -सदस्य

v) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि -सदस्य

vi) कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय का नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए विशेषज्ञ -सदस्य

vii) उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, चिकमंगलूर -सदस्य

viii) उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, दक्षिण कन्नड़ -सदस्य

ix) उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, उडूपी -सदस्य

x) *कारकाला विधानसभा क्षेत्र से विधान सभा सदस्य -सदस्य

xi) *मुडीगेरे विधानसभा क्षेत्र से विधान सभा सदस्य -सदस्य

xii) *श्रिंगेरी विधानसभा क्षेत्र से विधान सभा सदस्य -सदस्य

xiii) *बेलतनगेड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधान सभा सदस्य -सदस्य

xiv) उप वन संरक्षक, कुद्रेमुख वन्यजीव प्रभाग, कारकाला सदस्य-सचिव।

* (इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कर्नाटक राज्य सरकार अन्य बातों के साथ सुसंगत अनुमोदन, जिसके अंतर्गत कर्नाटक विधान सभा के सभापति की अनुज्ञा भी है, यदि अपेक्षित हो, अभिप्राप्त करेगी)।

6. निर्देश निबंधन :

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/147/2015-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

कुद्रेमुख पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर: कुद्रेमुख पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा रेखा मुदराही ग्राम के बच्चाप्पु से आरंभ होकर और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती है और कपोली प्रवाह से होते हुए सोमोश्वर रिजर्व वन सीमा से मिलती है। इसके अतिरिक्त यह सोमोश्वर रिजर्व वन सीमा के साथ मुड़कर और दुर्गा में कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान सीमा रेखा से मिलती है । इसके अतिरिक्त कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ती है और प्रवाह के निकट शिखर बिंदु 767 पहुँचती है । इसके अतिरिक्त यह प्रवाह के साथ हसानाबलु के निकट सड़क से मिलती है ।

पूर्व: इसके अतिरिक्त रेखा शिखर बिंदु 741 और 744 के साथ उत्तर पूर्व की ओर जाती है और बेटेगेरी के निकट प्रवाह पहुँचती और इसके बाद यह मालाथी प्रवाह से मिलती है । इसके अतिरिक्त यह मालाथी प्रवाह के साथ मुड़ती है और यह कालावनटीकडागे के निकट सड़क पहुँचती है और इसके बाद यह पत्थरी टिले की पर्वतश्रेणी के साथ मगोडे प्रवाह पहुँचती है, इसके अतिरिक्त प्रवाह के साथ मुड़ती है और शिखर बिंदु 862 से जोड़ती है और इसके बाद 862 की पर्वतश्रेणी के साथ मुड़ती है और हुलगर बेल में प्रवाह से जुड़ती है और इसके बाद यह सोनदोदी में नालिनी प्रवाह से जुड़ती है । इसके अतिरिक्त यह पर्वतश्रेणी के साथ उत्तर पूर्व की ओर जाती है और 872 बिंदु से होते हुए इलाक्कीगुड्डा के निकट शिखर बिंदु पहुँचती है । इसके अतिरिक्त यह सुनकादमाक्की प्रवाह के साथ उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती है और शिखर बिंदु 704, 821, 797 और इसके बाद नुक्कीबेल के निकट धारा से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त यह प्रवाह के ऊपर बोलाले के साथ मुड़ता है और शिखर बिंदु 857 और 1044 जुड़कर और इसके बाद तालुक सीमा और हनचीनाकोडीगे के निकट प्रवाह से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त यह प्रवाह और सड़क के साथ मुड़ती है और 1116 की पर्वतश्रेणी पहुँचती है और पर्वतश्रेणी के साथ मुड़कर और बांदेहाकलु सड़क

पहुँचती है। इसके अतिरिक्त यह 921 पर्वतश्रेणी के सड़क के साथ उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर और पर्वतश्रेणी के साथ मुड़कर और छोवना प्रवाह के निकट सड़क और इसके बाद सड़क के साथ छोवनाहल्ला प्रवाह पहुँचती है। इसके अतिरिक्त यह पश्चिम और दक्षिण की और मुड़कर और शिखर बिंदु 1385 और 1064 पहुँचती है । बाद में, यह 1064, 1330, 1018, 1049 की पर्वतश्रेणी के साथ मुड़कर और शिखर बिंदु 1157 पहुँचती है इसके बाद यह पर्वतश्रेणी के साथ आड़े-तिरछे और शिखर बिंदु 1186 और 1108 से जुड़ती है । इसके अतिरिक्त यह पर्वतश्रेणी के साथ उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर और शिखर बिंदु 1119 और इसके बाद 1128 पहुँचती है । इसके अतिरिक्त यह 1178 की पर्वतश्रेणी के साथ मुड़कर और हुलीकन सी.ई. की सड़क पहुँचती है और इसके बाद हरीकन सी. ई. की पर्वतश्रेणी के साथ मुड़कर और बल्लालारायाना दुर्गा में 1506 शिखर बिंदु से जुड़ती है । इसके बाद यह 1506 की परिरेखा के साथ मुड़कर और बल्लालारायाना दुर्गा प्रपात के बलुर एस.एफ. पहुँचती है ।

दक्षिण: इसके बाद रेखा बलुर एस.एफ सीमा के साथ आड़े-तिरछे पूर्व की ओर जाती है और इसके बाद चारमडी सड़क से जुड़ती है और इसके बाद चारमडी घाट सड़क के साथ दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर और चारमडी कटपडी आरक्षित वन सीमा से जुड़ती है । इसके अतिरिक्त यह चारमडी से कडपडी आरक्षित वन सीमा के साथ मुड़कर और बेंडेज की धारा पहुँचती है । इसके अतिरिक्त यह धारा के साथ मुड़कर और होसाबेट्टु के निकट सड़क पहुँचती है । इसके बाद यह सड़क के साथ उत्तर की ओर मुड़कर और केचुर तिराहे पहुँचती है । और इसके बाद यह मुरा में सड़क के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़कर त्रि-जंक्शन (तिराहे) पहुँचती है । इसके अतिरिक्त यह उत्तर-पश्चिम की ओर सड़क के साथ मुड़कर और लडीयाला गुड्डा के निकट धारा पहुँचती है । इसके अतिरिक्त यह बेलामावीगुड्डा की पर्वतश्रेणी के ऊपर दक्षिण की ओर धारा के साथ मुड़कर और पर्वतश्रेणी के साथ मुड़कर और फुटपाथ से होते हुए कुड्डालका धारा पहुँचती है । इसके अतिरिक्त यह धारा के साथ दक्षिण की ओर मुड़कर और नरटीकल के निकट सड़क पहुँचती है । इसके अतिरिक्त सड़क के साथ मुड़कर और बिंदु सं. 124 के निकट विद्युत लाइन पहुँचती है । इसके अतिरिक्त यह होक्काला पर विद्युत लाइन के साथ मुड़कर और इसके बाद फुटपाथ के साथ सुलकेरीमोगरु के शिखर बिंदु 198 से जुड़ती है । इसके अतिरिक्त यह सड़क के त्रि-जंक्शन और सुक्केरी में कुजीगे धारा से सीधे जुड़ती है । इसके अतिरिक्त यह कुथलूर धारा के साथ मुड़कर पहुँचती है । इसके अतिरिक्त यह कुथलूर धारा के साथ मुड़कर और फुटपाथ से होते हुए नारवी के निकट हुंडी धारा से मिलती है । इसके अतिरिक्त यह हुंडी धारा के साथ उत्तर की ओर मुड़कर और बारे के निकट बारे धारा से जुड़ती है । इसके अतिरिक्त यह बेडेकिला, मुलीकर से होते हुए बारे धारा के साथ मुड़कर और हुराबे आरक्षित वन सीमा पहुँचती है ।

पश्चिम: इसके अतिरिक्त रेखा हुराबे आरक्षित वन के साथ आड़े-तिरछे और कोडनगे में माचीटे धारा और माला धारा के तिराहे और मुल्लूर के निकट सड़क पहुँचती है। इसके अतिरिक्त यह सड़क के साथ मुड़कर और कोडाबेट्टु के सड़क और एन. एच के तिराहे पहुँचती है । इसके बाद यह सड़क के साथ मुड़कर उत्तर पश्चिम की ओर और शेट्टीबेट्टु के निकट कार्ट सड़क पहुँच कर और कार्ट सड़क के साथ यह बगलेगुड्डे के निकट सड़क पहुँचती है। इसके अतिरिक्त यह सड़क के साथ मुड़कर उत्तर पश्चिम की ओर और गुड्डेयानगडी के निकट धारा पहुँचती है । इसके अतिरिक्त यह धारा के साथ मुड़कर और अनदर के निकट सड़क पहुँचती है। इसके अतिरिक्त यह सड़क और विद्युत लाइन और मारने धारा के साथ मुड़कर और इसके बाद विद्युत लाइन से यह बिंदु बी.एम 460 की सड़क पहुँचती है । इसके अतिरिक्त रेखा आड़े-तिरछे सड़क के साथ उत्तर की ओर और उप-धाराओं के साथ माथेबेट्टु धारा पहुँचती है। इसके अतिरिक्त रेखा माथेबेट्टु धारा के साथ आड़े-तिरछे और वारानगा गुड्डा की पर्वतश्रेणी से मिलकर और पर्वतश्रेणी के साथ आड़े-तिरछे और इसके बाद अडका के निकट धारा पहुँचती है । इसके अतिरिक्त धारा बेनडुगुड्डे पर्वतश्रेणी से मिलकर और इसके बाद पर्वतश्रेणी और फुटपाथ के साथ यह मुदराडी के निकट मुख्य सड़क पहुँचकर और इसके अतिरिक्त रेखा मुख्य सड़क के साथ आड़े-तिरछे और बच्चापपु पहुँचती है ।

उपाबंध–II

कुद्रेमुख पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

मानचित्र आई.डी	ग्राम का नाम	जिला	तालुक	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	देशांतर	अक्षांश
1	हसनबालु	चिकमागलुर	श्रींगेरी	303.89	75.171220	13.478697
2	मसागी	चिकमागलुर	श्रींगेरी	305.63	75.178776	13.457434
3	मिग्गा	चिकमागलुर	श्रींगेरी	243.39	75.192686	13.458431
4	मरकल्लु/ रिशाश्रिंगापुरा	चिकमागलुर	श्रींगेरी	424.32	75.173682	13.428311
5	यादाहल्ली	चिकमागलुर	श्रींगेरी	807.46	75.185824	13.385742
6	सुनकादमाक्की	चिकमागलुर	श्रींगेरी	275.39	75.204843	13.362733
7	कराक्की कॉफ़ी भूमि	चिकमागलुर	श्रींगेरी	47.29	75.206874	13.351706
8	नेम्मार कॉफ़ी भूमि	चिकमागलुर	श्रींगेरी	163.15	75.225517	13.352260
9	नेम्मार	चिकमागलुर	श्रींगेरी	244.58	75.227613	13.362339
10	हरुरु	चिकमागलुर	श्रींगेरी	202.31	75.242688	13.346860
11	मालनादु	चिकमागलुर	श्रींगेरी	606.96	75.265819	13.343963
12	कुटगोद	चिकमागलुर	श्रींगेरी	39.38	75.282617	13.360080
13	हेग्गारु	चिकमागलुर	कोप्पा	59.55	75.294424	13.345837
14	हरालवानी	चिकमागलुर	कोप्पा	357.50	75.292466	13.331519
15	मेगुर	चिकमागलुर	कोप्पा	95.11	75.306737	13.324741
16	कालगुन्दी	चिकमागलुर	कोप्पा	565.97	75.331287	13.309200
17	अत्तीकोदागी	चिकमागलुर	कोप्पा	178.89	75.353137	13.302505

18	होरनादु	चिकमागलुर	मुदीगेरे	672.87	75.335811	13.283553
19	कालसा	चिकमागलुर	मुदीगेरे	1018.86	75.298294	13.274454
20	कालगोदु	चिकमागलुर	मुदीगेरे	596.07	75.292183	13.240624
21	सानवशी	चिकमागलुर	मुदीगेरे	1201.99	75.313887	13.180263
22	माविनकेरे/कालसा	चिकमागलुर	मुदीगेरे	284.69	75.348741	13.204679
23	मरासांगी	चिकमागलुर	मुदीगेरे	229.26	75.383347	13.181623
24	बलगी	चिकमागलुर	मुदीगेरे	290.41	75.401773	13.165305
25	दुर्गादहाल्ली	चिकमागलुर	मुदीगेरे	367.70	75.416366	13.136946
26	मुदगुंदी	चिकमागलुर	मुदीगेरे	40.55	75.427853	13.128784
27	मालावानथिंगे	दकक्षिना कन्नदा	बेलथानगादी	1159.84	75.368347	13.137543
28	मिथाबागिलु	दकक्षिना कन्नदा	बेलथानगादी	895.09	75.369890	13.117416
29	कदीरुदयावरा	दकक्षिना कन्नदा	बेलथानगादी	446.08	75.381220	13.090732
30	नादाबेत्तु	दकक्षिना कन्नदा	बेलथानगादी	449.47	75.352815	13.082125
31	नावुर	दकक्षिना कन्नदा	बेलथानगादी	729.91	75.318880	13.065213
32	नादा	दकक्षिना कन्नदा	बेलथानगादी	447.03	75.302621	13.038797
33	लायला	दकक्षिना कन्नदा	बेलथानगादी	668.74	75.285323	13.017843
34	सावामालु	दकक्षिना कन्नदा	बेलथानगादी	644.33	75.268546	13.046649
35	कारामबार	दकक्षिना	बेलथानगादी	54.58	75.248048	13.049454

		कन्नदा				
36	शिरलाल 1	दकक्षिना कन्नदा	बेलथानगादी	553.52	75.239784	13.063052
37	सुलकारीमोगरु	दकक्षिना कन्नदा	बेलथानगादी	150.74	75.219402	13.076292
38	नवरा	दकक्षिना कन्नदा	बेलथानगादी	228.38	75.203910	13.076877
39	सुलकेरी	दकक्षिना कन्नदा	बेलथानगादी	387.21	75.189361	13.086838
40	कुथलुर	दकक्षिना कन्नदा	बेलथानगादी	273.31	75.177242	13.105035
41	नरावी	दकक्षिना कन्नदा	बेलथानगादी	153.87	75.164553	13.122795
42	इदु	उदुपी	कारकला	351.50	75.162469	13.145356
43	नुरालबेत्तु	उदुपी	कारकला	406.84	75.136957	13.172278
44	माला	उदुपी	कारकला	973.21	75.121294	13.221800
45	बेरकला	उदुपी	कारकला	638.49	75.086054	13.258747
46	शिरलाल	उदुपी	कारकला	1141.39	75.055647	13.311586
47	मारने	उदुपी	कारकला	237.93	75.016965	13.338683
48	वरांगा	उदुपी	कारकला	604.68	75.022402	13.378088
49	मुदरादी	उदुपी	कारकला	575.46	75.022753	13.419141
50	कब्बीनाले	उदुपी	कारकला	748.12	75.051334	13.406780
51	हबरी	उदुपी	कारकला	64.15	75.037396	13.435997
	कुल:			**22607.04**		

उपाबंध III

कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की पारिस्थितिक संवेदी जोन के उपदर्शित करने वाला मानचित्र

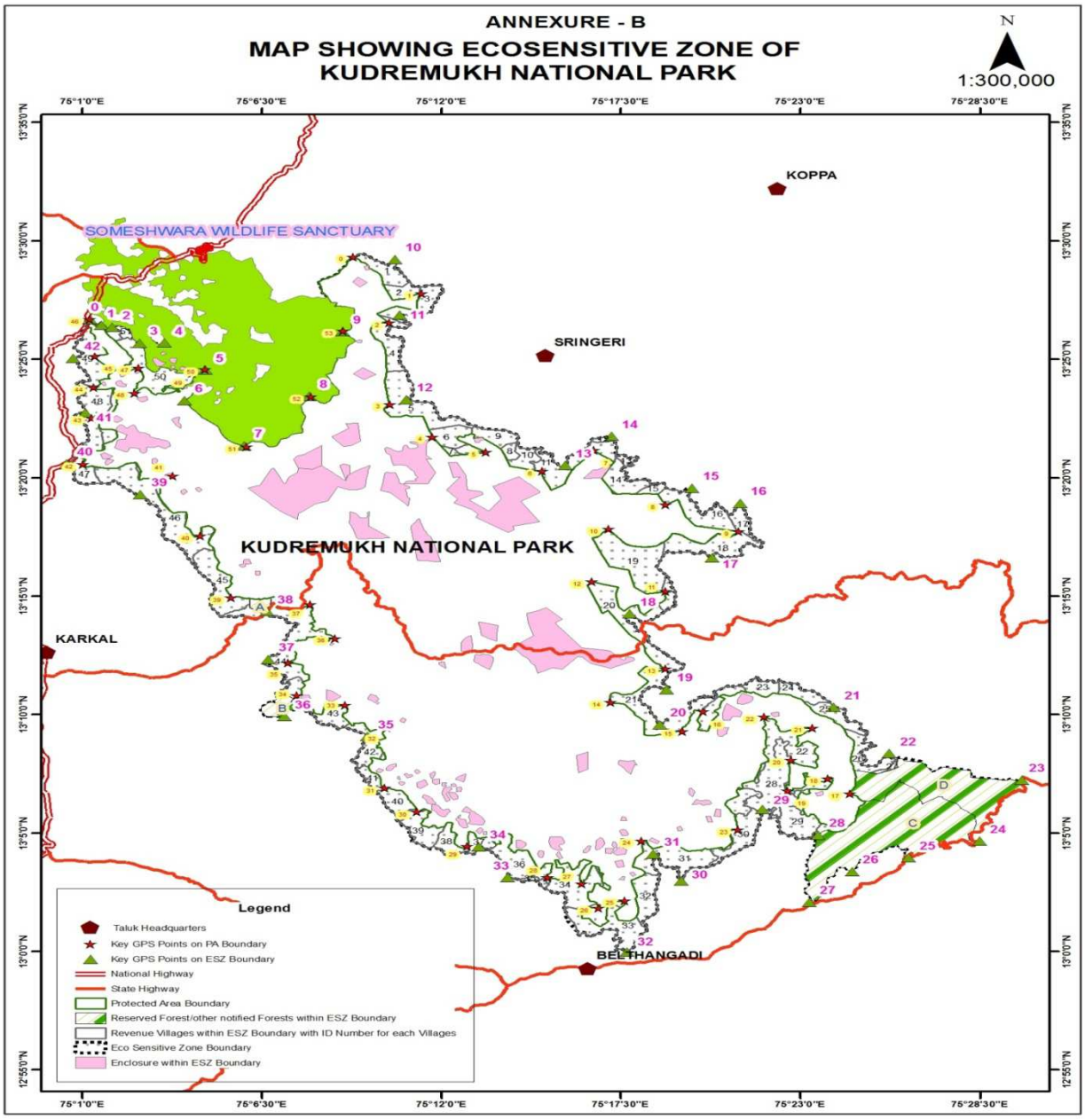

उपाबंध IV

कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान सीमा पर मुख्य स्थानो की स्थिति (भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली)

मानचित्र पर स्थिति	अक्षांश (दशमलव डिग्री में)	देशांतर (दशमलव डिग्री में)
0	75.020525	13.444907
1	75.026347	13.440596
2	75.031951	13.439261
3	75.045878	13.428038
4	75.058646	13.428242
5	75.079394	13.409110
6	75.068831	13.387568
7	75.099356	13.355866
8	75.132661	13.390646
9	75.149645	13.436065
10	75.176469	13.486891
11	75.179012	13.447693
12	75.182279	13.388281
13	75.263395	13.341935
14	75.287084	13.362409
15	75.328236	13.325975
16	75.352842	13.315353
17	75.338457	13.276848
18	75.296243	13.237461
19	75.315083	13.184236
20	75.311749	13.159561
21	75.400502	13.171708
22	75.428925	13.139188
23	75.496837	13.120587
24	75.474953	13.077468
25	75.438895	13.065851
26	75.409865	13.056094
27	75.388072	13.034567
28	75.392729	13.081764
29	75.364211	13.099728
30	75.322536	13.049474
31	75.308390	13.068409
32	75.294937	12.999426
33	75.233920	13.051855
34	75.219442	13.073541
35	75.162330	13.151241
36	75.119892	13.165282
37	75.111712	13.205523
38	75.111069	13.239216
39	75.046501	13.321594
40	75.008521	13.343140

41	75.018334	13.379031
42	75.012171	13.417440

पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा पर मुख्य स्थानों की स्थिति (भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली)

मानचित्र पर स्थिति	अक्षांश (दशमलव डिग्री में)	देशांतर (दशमलव डिग्री में)
0	75.15488	13.48872
1	75.18987	13.46291
2	75.17335	13.44241
3	75.17364	13.38491
4	75.19543	13.36201
5	75.22262	13.35123
6	75.25145	13.33787
7	75.27771	13.35246
8	75.31434	13.31415
9	75.35189	13.29527
10	75.28525	13.29717
11	75.31460	13.25327
12	75.27671	13.26005
13	75.31464	13.19874
14	75.28640	13.17523
15	75.32312	13.15476
16	75.33359	13.16868
17	75.40850	13.11087
18	75.39753	13.12154
19	75.37673	13.11293
20	75.37866	13.13435
21	75.38950	13.15720
22	75.36478	13.16504
23	75.35154	13.08546
24	75.30200	13.07773

25	75.29349	13.03565
26	75.28036	13.03024
27	75.27159	13.04746
28	75.25437	13.05195
29	75.21320	13.07377
30	75.18739	13.09825
31	75.17112	13.11483
32	75.17192	13.15726
33	75.15080	13.17323
34	75.12627	13.18005
35	75.12170	13.20303
36	75.14570	13.22020
37	75.13303	13.24393
38	75.12045	13.24863
39	75.09251	13.24869
40	75.07669	13.29223
41	75.06289	13.33459
42	75.01687	13.34268
43	75.02135	13.37522
44	75.02224	13.39664
45	75.02313	13.41885
46	75.02015	13.44480
47	75.04526	13.41044
48	75.04333	13.39278
49	75.07263	13.40681
50	75.07931	13.40943
51	75.10046	13.35501
52	75.13330	13.39027
53	75.14967	13.43655

उपाबंध-V

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति-की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2016

S.O. 63(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, Kudremukh National Park located at the tri-junction of Chikmagalur, Dakshina Kannada and Udupi districts of Karnataka State at the middle of Central Western Ghats (the stretch between Goa and Nilgiris), remains part of one of the 34 bio-diversity hotspots of the world and became signpost of tropical biological richness lies between the 13^0 01' to 13^0 29' North Latitude and 75^0 01' to 75^0 25' East Longitude and spread over an area of 600.57 square kilometres;

AND, WHEREAS, the National Park is also a part of Sahyadri hill ranges and remains most attractive landscape of the low elevation wet evergreen forests and Shola-Grassland Biome in the entire stretch of Western Ghat;

AND, WHEREAS, Kudremukh landscape represents a wide range of altitudes from 135 meters mean sea level to uplands 1900 meters mean sea level and accordingly has a wide range of vegetation and attendant fauna. The major forest types of Kudremukh National Park is classified into (Champion and Seth 1968) Southern hill top tropical evergreen forests ($1A/C_3$) [Sholas], Tropical wet evergreen forests ($1A/C_4$), West coast semi-evergreen forests (2A/C2), South Indian Moist Deciduous Forests ($3B/C_2$) and South Indian subtropical hill savanna (8A (C 1/DS). J.P. Pascal, classified the vegetation of Kudremukh National Park;

AND, WHERAS, *a*part from the floral value of Kudremukh National Park, the faunal values of Kudremukh National Park is of critical and reason behind our intention of protection and conservation of forest area of this landscape. Kudremukh becomes largest remaining home/habitat for the single largest remaining population of the Lion tailed macaques (a flagship species of Kudremukh National Park) in India and world. The National Park is also home for King Cobra, the longest venomous snake in the world and Malabar Slender Loris (*Loris lydekkerianus malabaricus*), a rare primate endemic to Kudremukh. The National Park is a representative of Tropical wet evergreen forest holding the assemblage of three top carnivores like Tiger, Leopard and Wild dogs. Kudremukh National Park holds high degree of endemism for faunal groups like reptiles, amphibians and fishes. Insects represent the most diverse faunal species followed by birds inside the National Park area. Avifauna's like Hornbills are found in the old growth forests and Flying squirrels are seen on tall trees in the valleys or on the fruit trees. Other faunal species occur in this National Park includes, Asiatic elephant, Indian Gaur, Sambar Deer, Barking Deer/Muntjac, Spotted deer, Mouse deer, Sloth Bear, Striped Hyena, Chevrotain, Wild Pig, Hanuman Langur, Bonnet Macaque, Malabar Giant Squirrel, Peacock, Python and Malabar Civet Cat etc. Kudremukh National Park area is considered as hottest spot among the hot spots for orchids in central Western Ghats.

AND, WHERAS, Among its all values, the ecosystem services value of Kudremukh are of great importance and vital to the protection and conservation of this area of forest land as National Park. Kudremukh National Park is the fountain head and catchment for major rivers like Tunga, Bhadra and Nethravathi and also catchments for other minor rivers like Swarna, Gurupura, Yennehole and Seethanadhi, thus became lifeline for local people and plays a vital role in the regional economy. Kudremukh receives one of the highest rainfalls in South India (average of 7000 milimetre per year). Further, the wet evergreen shola forest of Kudremukh act like a sponge, thus huge quantity of water is held as underground reserve and the same is released slowly into rivers throughout the year. Geographically, the National Park area holds a vast and enduring effect on the regional climate (by aiding the South West Monsoon). Further, Kudremukh National Park holds one of the highest standing biomass estimated at an average of 250-300 tons per hector and therefore acts as one of the great carbon sinks, an antidote to global warming and climate change phenomenon;

And, whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph1 of this notification around the protected area of Kudremukh National Park as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto 10 kilometres around the boundary of Kudremukh National Park in the State of Karnataka as the Kudremukh National Park Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone**- (1) The area of Eco-Sensitive Zone is 286.259 square kilometres with an extent upto 10 kilometres around the boundary of Kudremukh National Park. Someshwara Wildlife Sanctuary adjoin the northern side of the National Park consequently, no Eco-sensitive Zone has been proposed on this side. The boundary details of such Zone are given in **Annexure-I**.

(2) The list of 51 villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure-II.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as Annexure**-III.**

(4) Key locations (GPS points) on the eco-sensitive zone boundary as well as on the sanctuary are appended as **Annexure-IV**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Karnataka State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation; and

(x) Public Works Department.

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, ground water management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing and proposed worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential need of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 18, 24, 29 and 32 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads.

(iii) Small scale industries not causing pollution,

(iv) Rainwater harvesting, and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities etc:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by

the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Kudremukh National Park except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of final notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of final notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made there under.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into bio-degradable and non-bio-degradable components;

(iii) the bio-degradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5	Establishment of new thermal and major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6	Use or production of any hazardous substances including pesticides and insecticides.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone:

		Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
10	Erection of Wind Mills.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated activities		
11	Use of plastic carry bags, laminates and tetra packs.	Regulated under applicable laws. Disposal of plastic articles laminates and tetra packs shall be strictly regulated and monitored.
12	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.
13	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the protected area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-Sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan. (c) construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.
14	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
15	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount

		that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
16	Erection of electrical cables, transmission lines and telecommunication towers.	(i) Promote underground cabling. (ii) Existing domestic lines – if over ground should be at the height of 20 feet for slope < 20 degree and for slope > 30 degree it should be at the height of 30 feet from the ground. (iii) For any future laying of electric lines for the domestic purpose up to 11KV has to be done underground (iv) For any transmission line more than 11KV the "sag" point between the two towers should be at safe distance from the ground.
17	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
18	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
19	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
20	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
21	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area and disposal of solid waste.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
23	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
24	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
25	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
26	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
27	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
28	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
29	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.

32	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
33	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Karnataka , which shall comprise of the following namely:-

(i) Regional Commissioner, Mysore – Chairman

(ii) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka - Member;

(iii) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka-Member;

(iv) Representative of Non-governmental Organizations working in the field of nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka - Member;

(v) Representative of Karnataka State Pollution Control Board - Member;

(vi) One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka – Member;

(vii) Deputy Commissioner or his representative, Chikmagalur – Member

(viii) Deputy Commissioner or his representative, Dakshina Kannada – Member

(ix) Deputy Commissioner or his representative, Udupi –Member

(x) Member of Legislative assembly from Karkala constituency –Member.

(xi) Member of Legislative assembly from Mudigere, constituency –Member.

(xii) Member of Legislative assembly from Shringeri, constituency –Member.

(xiii) Member of Legislative assembly from Belthangady constituency –Member.

(xiv) The Deputy Conservator of Forests, Kudremukh Wildlife Division, Karkala – Member-Secretary.

*(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

6. Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Park the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-V**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

[F. No. 25/147/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundary Description of Kudremukh Eco-Sensitive Zone

North: The boundary line of Kudremukh Eco-sensitive zone starts from Bacchappu of Mudradi village and Moves towards North East along Kudremukh National Park boundary and join the Someshwara Reserve Forest boundary through Kapoli stream. Further it moves along Someshwar Reserve Forest Boundary and Join Kudremukh National Park boundary line at Durga. Further It moves along the Kudremukh National Park boundary towards North East and North West and reaches the stream near Peak point 767. Further it join road near Hasanabalu along stream.

East: Further the line Travels towards North East along the peak point of 741 and 744 and reaches the stream near Betegeri and then it joins the Malathi stream. Further it moves along the Malathi stream and reaches the road near Kalavantikadage and then it reaches the stream of Magode along the ridges of rocky knob Further it moves along the stream and connects the peak point 862 and then moves along the ridges of 862 and join the stream at Hulgar bail and then it join the Nalini stream at Sindodi. Further it Travers towards North East along the Ridges and reaches the peak point near Elakkigudda through 872 point. Further it moves towards North east along Sunkadamakki stream and connect the peak point 704, 821, 797 and then to thr stream Near Bukkibail. Further it moves along the stream up to Volale and connects the peak point 857 and 1044 and then connects to the Taluk boundary and to stream near Hanchinakodige. Further it moves along stream and road and reaches the Ridges of 1116 and moves along the ridges and reaches the road at Bandehaklu. Further it moves towards Nort east along the road up to the ridges of 921 and moves along the Ridges and reaches road near stream Chowna stream and then to Chownahalla stream along road. Further it moves towards west and south and reach peak point 1385 and 1064. Later, it Moves along the ridges of 1064, 1330, 1018, 1049 and reaches the peak point 1157 then it traverses along the ridges and connect the peak point 1186 and 1108. Further it moves towards North East along the ridges and reaches the peak point 1119 and then to 1128. Further it moves along the ridges of 1178 and reaches the road at Hulikan CE and then moves along the ridges of Harikan CE and connects the peak point of 1506 at Ballalarayana durga. Then it moves along the contour of 1506 and reaches the Balur SF at Ballalarayana Durga Falls.

South: Then the line traverses along Balur SF Boundary towards east and then connects the Charmadi road and then moves along the Charmadi Ghat road towards South East and connect Charmadi Katpadi Reserved Forest boundary. Further it moves along Charmadi to Kadpadi Reserved Forest boundary and reaches the stream at Bandage. Further it moves along the stream and reaches road near Hosabettu. Then it moves towards North along road and reaches the Tri-junction at Keyur. And then it moves towards south west along road reaches trijunction at Mura. Further it moves along road towards North West and reaches the stream near Idiyala gudda. Further it moves along the stream towards South up to the ridges of Belamavigudda and moves along ridges and reaches the Kuddalka stream through foot path. Further it moves along the stream towards South west and reaches the road near Nartikal. Further it moves along road and reaches the power line near point no124. Further it moves along the power line up to Hokkala and then connects the peak point 198 of Sulkerimogru along footpath. Further it directly connects to the tri-junction of road and Kudige stream at Sukkeri. Further it moves along reaches Kuthlur stream. Further it moves along Kthlur stream and joins the Hundi stream near Naravi through foot path. Further it moves towards north along Hundi stream and connect the Bare stream near Bare. Further it moves along Bare stream through Bedekila, Mulikar and reaches the Hurabe Reserved Forest boundary.

West: Further the line traverses along the Hurabe Reserved Forest and reaches the Tri-junction of Machitte stream and Mala stream at Kodange and them traverse along the Mala stream and reaches the road near Mullur. Further it moves along the road and reaches the Tri-junction of road and NH at Koodabettu. Then it moves along road towards North West and reaches the cart road near Shettibettu and along the cart road it reaches the road near Banglegudde. Further it moves along road towards North West and reaches the stream near Guddeyangadi. Further it moves along the stream and reaches road near Andar. Further it moves along road and power line and Marne stream and then power line it

reaches the road at point BM460. Further the line traverse towards North along road and reaches the Mathebettu stream along sub-streams. Further the line traverse along Mathebettu stream and joins the ridges of Varanga gudda and traverse along the ridged and then reaches the stream near Adka. Further the stream joins the Bendugudde ridges and then along ridges and footpath it reaches the main road near Mudradi and the line further Travels along the main road and reaches the Bacchappu.

ANNEXURE-II

List of the villages falling within the Kudremukh Eco-Sensitive Zone

Map ID	Name of the village	District	Taluk	Area in Ha	Longitude	Latitude
1	Hasanbalu	Chikmagalur	Sringeri	303.89	75.171220	13.478697
2	Masagi	Chikmagalur	Sringeri	305.63	75.178776	13.457434
3	Migga	Chikmagalur	Sringeri	243.39	75.192686	13.458431
4	Markallu/ Rishashringapura	Chikmagalur	Sringeri	424.32	75.173682	13.428311
5	Yadahalli	Chikmagalur	Sringeri	807.46	75.185824	13.385742
6	Sunkadamakki	Chikmagalur	Sringeri	275.39	75.204843	13.362733
7	Karakki Coffee Estate	Chikmagalur	Sringeri	47.29	75.206874	13.351706
8	Nemmar Coffee Estate	Chikmagalur	Sringeri	163.15	75.225517	13.352260
9	Nemmar	Chikmagalur	Sringeri	244.58	75.227613	13.362339
10	Haruru	Chikmagalur	Sringeri	202.31	75.242688	13.346860
11	Malnadu	Chikmagalur	Sringeri	606.96	75.265819	13.343963
12	Kutgod	Chikmagalur	Sringeri	39.38	75.282617	13.360080
13	Heggaru	Chikmagalur	Koppa	59.55	75.294424	13.345837
14	Haralvani	Chikmagalur	Koppa	357.50	75.292466	13.331519
15	Megur	Chikmagalur	Koppa	95.11	75.306737	13.324741
16	Kalgundi	Chikmagalur	Koppa	565.97	75.331287	13.309200
17	Attikodagi	Chikmagalur	Koppa	178.89	75.353137	13.302505
18	Hornadu	Chikmagalur	Mudigere	672.87	75.335811	13.283553
19	Kalasa	Chikmagalur	Mudigere	1018.86	75.298294	13.274454
20	Kalgodu	Chikmagalur	Mudigere	596.07	75.292183	13.240624

21	Sanvshi	Chikmagalur	Mudigere	1201.99	75.313887	13.180263
22	Mavinkere/Kalasa	Chikmagalur	Mudigere	284.69	75.348741	13.204679
23	Marasangi	Chikmagalur	Mudigere	229.26	75.383347	13.181623
24	Balgi	Chikmagalur	Mudigere	290.41	75.401773	13.165305
25	Durgadahalli	Chikmagalur	Mudigere	367.70	75.416366	13.136946
26	Mudgundi	Chikmagalur	Mudigere	40.55	75.427853	13.128784
27	Malavanthige	Dakshina Kannada	Belthangady	1159.84	75.368347	13.137543
28	Mithabagilu	Dakshina Kannada	Belthangady	895.09	75.369890	13.117416
29	Kadirudyavara	Dakshina Kannada	Belthangady	446.08	75.381220	13.090732
30	Nadabettu	Dakshina Kannada	Belthangady	449.47	75.352815	13.082125
31	Navur	Dakshina Kannada	Belthangady	729.91	75.318880	13.065213
32	Nada	Dakshina Kannada	Belthangady	447.03	75.302621	13.038797
33	Layla	Dakshina Kannada	Belthangady	668.74	75.285323	13.017843
34	Savanalu	Dakshina Kannada	Belthangady	644.33	75.268546	13.046649
35	Karambar	Dakshina Kannada	Belthangady	54.58	75.248048	13.049454
36	Shirlal1	Dakshina Kannada	Belthangady	553.52	75.239784	13.063052
37	Sulkerimogru	Dakshina Kannada	Belthangady	150.74	75.219402	13.076292
38	Navara	Dakshina Kannada	Belthangady	228.38	75.203910	13.076877
39	Sulkeri	Dakshina Kannada	Belthangady	387.21	75.189361	13.086838
40	Kuthlur	Dakshina Kannada	Belthangady	273.31	75.177242	13.105035
41	Naravi	Dakshina Kannada	Belthangady	153.87	75.164553	13.122795
42	Idu	Udupi	Karkala	351.50	75.162469	13.145356
43	Nuralbettu	Udupi	Karkala	406.84	75.136957	13.172278
44	Mala	Udupi	Karkala	973.21	75.121294	13.221800
45	Berkala	Udupi	Karkala	638.49	75.086054	13.258747
46	Shirlal	Udupi	Karkala	1141.39	75.055647	13.311586
47	Marne	Udupi	Karkala	237.93	75.016965	13.338683
48	Varanga	Udupi	Karkala	604.68	75.022402	13.378088
49	Mudradi	Udupi	Karkala	575.46	75.022753	13.419141
50	Kabbinale	Udupi	Karkala	748.12	75.051334	13.406780
51	Hebri	Udupi	Karkala	64.15	75.037396	13.435997
	Total:			**22607.04**		

ANNEXURE-III

Map of Kudermukh National Park Eco-sensitive Zone

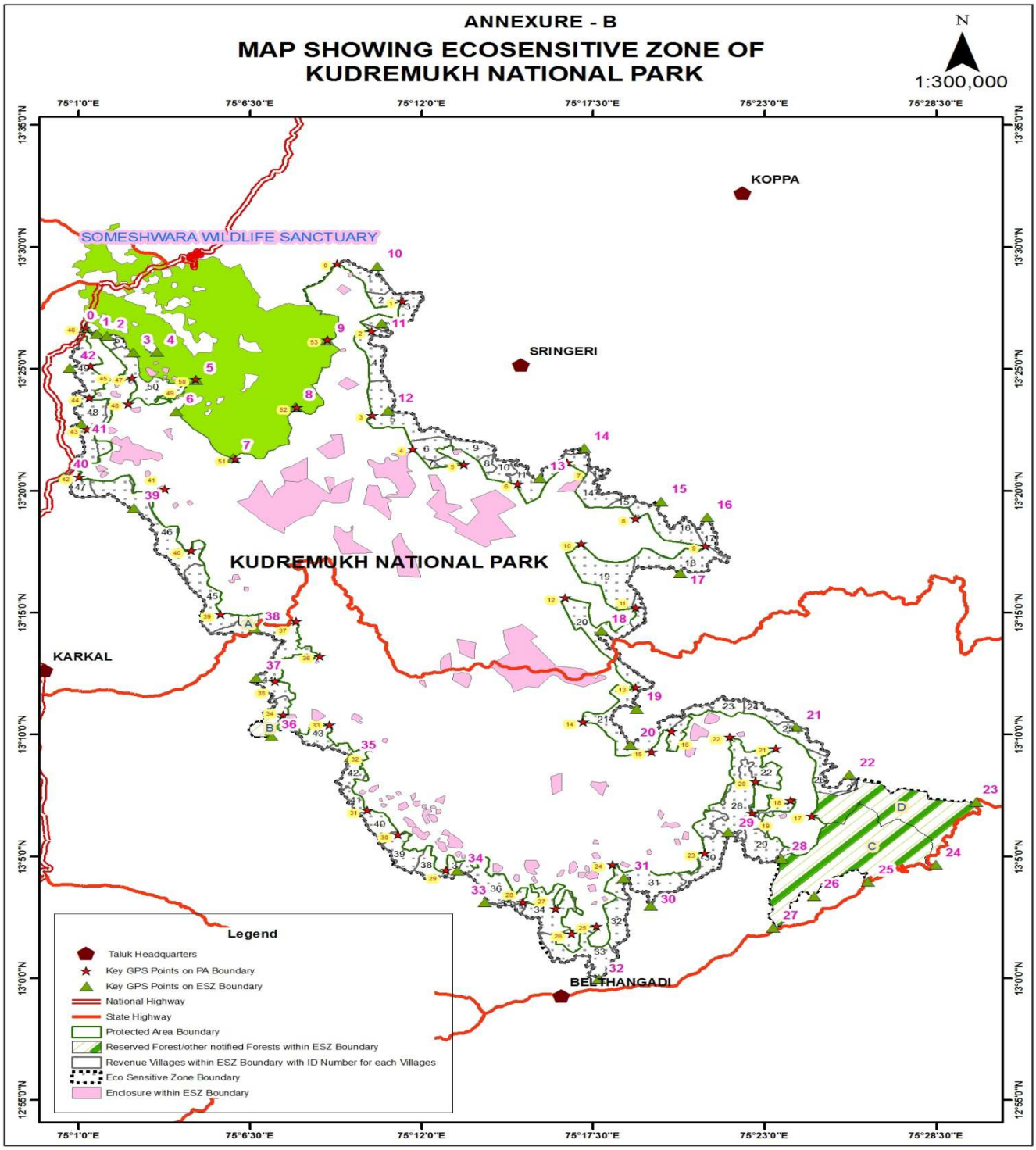

ANNEXURE-IV

Key locations (Global Positioning System) on the Kudremukh National Park boundary.

Location on the Map	Latitude in the degree decimals	Longitude in degree decimals
0	75.020525	13.444907
1	75.026347	13.440596
2	75.031951	13.439261

3	75.045878	13.428038
4	75.058646	13.428242
5	75.079394	13.409110
6	75.068831	13.387568
7	75.099356	13.355866
8	75.132661	13.390646
9	75.149645	13.436065
10	75.176469	13.486891
11	75.179012	13.447693
12	75.182279	13.388281
13	75.263395	13.341935
14	75.287084	13.362409
15	75.328236	13.325975
16	75.352842	13.315353
17	75.338457	13.276848
18	75.296243	13.237461
19	75.315083	13.184236
20	75.311749	13.159561
21	75.400502	13.171708
22	75.428925	13.139188
23	75.496837	13.120587
24	75.474953	13.077468
25	75.438895	13.065851
26	75.409865	13.056094
27	75.388072	13.034567
28	75.392729	13.081764
29	75.364211	13.099728
30	75.322536	13.049474
31	75.308390	13.068409
32	75.294937	12.999426
33	75.233920	13.051855
34	75.219442	13.073541
35	75.162330	13.151241
36	75.119892	13.165282
37	75.111712	13.205523
38	75.111069	13.239216
39	75.046501	13.321594
40	75.008521	13.343140
41	75.018334	13.379031
42	75.012171	13.417440

Key locations (Global Positioning System) on the Eco-Sensitive Zone boundary

Location on the map	Latitude in degree decimal	Longitude in degree decimal
0	75.15488	13.48872
1	75.18987	13.46291
2	75.17335	13.44241
3	75.17364	13.38491
4	75.19543	13.36201
5	75.22262	13.35123
6	75.25145	13.33787
7	75.27771	13.35246
8	75.31434	13.31415
9	75.35189	13.29527
10	75.28525	13.29717
11	75.31460	13.25327
12	75.27671	13.26005
13	75.31464	13.19874
14	75.28640	13.17523
15	75.32312	13.15476
16	75.33359	13.16868
17	75.40850	13.11087
18	75.39753	13.12154
19	75.37673	13.11293
20	75.37866	13.13435
21	75.38950	13.15720
22	75.36478	13.16504
23	75.35154	13.08546
24	75.30200	13.07773
25	75.29349	13.03565
26	75.28036	13.03024
27	75.27159	13.04746
28	75.25437	13.05195
29	75.21320	13.07377
30	75.18739	13.09825
31	75.17112	13.11483
32	75.17192	13.15726
33	75.15080	13.17323
34	75.12627	13.18005
35	75.12170	13.20303
36	75.14570	13.22020

37	75.13303	13.24393
38	75.12045	13.24863
39	75.09251	13.24869
40	75.07669	13.29223
41	75.06289	13.33459
42	75.01687	13.34268
43	75.02135	13.37522
44	75.02224	13.39664
45	75.02313	13.41885
46	75.02015	13.44480
47	75.04526	13.41044
48	75.04333	13.39278
49	75.07263	13.40681
50	75.07931	13.40943
51	75.10046	13.35501
52	75.13330	13.39027
53	75.14967	13.43655

ANNEXURE-V

Proforma of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings;
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure;
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan;
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise);

   [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006;

   [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006;

   [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.